



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08112025-267500
CG-DL-W-08112025-267500

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 40] नई दिल्ली, नवम्बर 2—नवम्बर 8, 2025, शनिवार/कार्तिक 11—कार्तिक 17, 1947
No. 40] NEW DELHI, NOVEMBER 2—NOVEMBER 8, 2025, SATURDAY/KARTIKA 11—KARTIKA 17, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 176.—केंद्रीय सरकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 9 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड [मुख्य इंजीनियर (स्तर-1), मुख्य अभियंता (स्तर-2) और सचिव], समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2020 को, जहां तक उनका संबंध सचिव के पद से है, उन बातों से सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, सचिव (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सचिव।	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क" अनुसचिवीय।	स्तर-13क (1,31,100-2,16,600/-रूपए)।	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (1,23,100-2,15,900/रूपए) में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के ऐसे उपमुख्य इंजीनियर जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है; या (ii) यदि कोई नियमित उपमुख्य इंजीनियर उपस्थित नहीं है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78,800-2,09,200/-रूपए) में ऐसे अधीक्षण इंजीनियर जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या राज्य विद्युत बोर्ड या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी संगठनों या स्वाशासी निकायों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी जो:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (1,23,100 - 2,15,900/- रूपए) में पद धारण करते हुए उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800 - 2,09,200/- रूपए) में पद धारण करते हुए उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और चयन के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में प्रशासन या स्थापना संबंधी मामलों का कार्यभार देखने वाले अपर सचिव या संयुक्त सचिव - अध्यक्ष; मुख्य इंजीनियर, ब्रह्मपुत्र बेसिन संगठन, केंद्रीय जल आयोग, गुवाहाटी - सदस्य; उपाध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड - सदस्य।	लागू नहीं होता।

वांछनीय: (ख (जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, अर्थात्:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य; और (ii) जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरी संकर्म में कार्य अनुभव; (ख) (i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (1,23,100 - 2,15,900/- रुपये (में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों में अखिल भारतीय सेवा अधिकारी का पद धारण करते हुए दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रशासन में कार्य करने का अनुभव हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 12 (78,800 - 2,09,200/- रुपये (में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों में अखिल भारतीय सेवा अधिकारी का पद धारण करते हुए छह वर्ष की नियमित सेवा की हो एवं प्रशासन में कार्य करने का अनुभव हो। टिप्पण 1—पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2—प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3—प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा. सं. ए-12018/9/2024-ई-III]

रवि रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 29th October, 2025

G.S.R. 176.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 29 read with sub-section (3) of section 9 of the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980) and in supersession of the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Brahmaputra Board [Chief Engineer (Level-I), Chief Engineer (Level-II) and Secretary], Group 'A' Posts Recruitment Regulations, 2020, in so far as it relate to the post of Secretary, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Secretary in the Brahmaputra Board, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Brahmaputra Board, Secretary (Group 'A' Post) Recruitment Regulations, 2025.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**— No person,-
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulations.
5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Savings.**— Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Secretary.	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Non-ministerial.	Level-13A (Rs.1,31,100-2,16,600/-).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances under which consultation with Union Public Service Commission is necessary.
(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Deputy Chief Engineer of Brahmaputra Board in level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900/-) in pay matrix with two years' regular service in the grade; or (ii) In the absence of a regular Deputy Chief Engineer, Superintending Engineer of Brahmaputra Board in level-12 (Rs. 78,800-2,09,200/-) in pay matrix with six years regular service in the grade. Note.-Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administration or State Electricity Board or public sector undertakings or statutory organisations or autonomous bodies or Universities or recognised research institutions:- (A) (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with two years' regular service in the grade; or (iii) holding the post in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with six years' regular service in the grade; and Desirable: (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent; and	Departmental Promotion Committee (for considering promotion and selection) consisting of: 1. Additional Secretary or Joint Secretary, looking after the administration or establishment matters in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Chairman; 2. Chief Engineer, Brahmaputra Basin Organisation, Central Water Commission, Guwahati – Member; 3. Vice -Chairman, Brahmaputra Board – Member.	Not applicable.

(ii) working experience in Civil Engineering works with specialisation in the field of Water Resources Projects or Management and General Administration; (B) (i) All India Service officers holding the post in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with two years' regular service in the Central Government or State Governments and having working experience in Administration; or (ii) All India Service officers holding the post in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with six years' regular service in Central Government or State Governments and having working experience in Administration. Note 1 – The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract) basis. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2—The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 3—The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years on the closing date of receipt of applications.		
---	--	--

[F. No. A-12018/9/2024-E-III]

RAVI RANJAN., Under Secy.

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 177.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, फरक्का बैराज परियोजना, कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) और सहायक इंजीनियर (सिविल/यांत्रिक/विद्युत), (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 को, जहां तक उनका संबंध सहायक इंजीनियर (विद्युत) और सहायक इंजीनियर (यांत्रिक) के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना में सहायक इंजीनियर (यांत्रिक/विद्युत), (समूह-ख) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना, सहायक इंजीनियर (यांत्रिक/विद्युत) समूह-ख पद भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

5. निरर्हता-वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगी।

7. व्यावृत्ति- इन नियमों में कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों, पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1.सहायक इंजीनियर (यांत्रिक)।	5 * (2025)। *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये)।	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने हेतु किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
प्रोन्नति द्वारा:- वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-) में फरक्का बैराज परियोजना के कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिक) में से, जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा की हो और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों या राष्ट्रीय जल अकादमी या जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् व कनिष्ठ इंजीनियर के पद पर पाँच वर्ष की सेवा की हो। (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों। (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति हेतु विचारार्थ) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना - अध्यक्ष; 2. अधीक्षण इंजीनियर, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य; 3. कार्यपालक अभियन्ता, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य; 4. अवर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग- सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(ii) यांत्रिक इंजीनियरी के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: प्रोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

1	2	3	4	5	6
2. सहायक इंजीनियर (विद्युत)।	2 * (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अन-नुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/- रूपए)	चयन	लागू नहीं होता।

7	8	9	10
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

11	12	13
प्रोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400/- रुपये) में नियमित आधार पर फरक्का बैराज परियोजना के कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत) ने नियुक्ति के बाद ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों या राष्ट्रीय जल अकादमी या जल और भूमि प्रबंधन संस्थान में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी जो:	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्न शामिल हैं:- 1. महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना - अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य; 3. कार्यकारी इंजीनियर, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य; 4. अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 (35400-112400 रुपये) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् कनिष्ठ इंजीनियर के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हुए: - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि; (ii) विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: प्रोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा. सं. ए-12018/18/2023- ई-III]

रवि रंजन, अवर सचिव

New Delhi, the 31st October, 2025

G.S.R. 177.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Farakka Barrage Project, Junior Engineer (Civil/ Mechanical/ Electrical) and Assistant Engineer (Civil/Mechanical/Electrical), (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the post of Assistant Engineer (Electrical) and Assistant Engineer (Mechanical), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Engineer (Mechanical/Electrical), (Group-B) in the Farakka Barrage Project, namely:-

- Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project, Assistant Engineer (Mechanical/ Electrical) Group-B post Recruitment Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application-** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and level in pay matrix.** - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.** – No person, -
 - who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes, the Ex--servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in pay Matrix .	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
1. Assistant Engineer (Mechanical).	5 * (2025). * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of probation if any.	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation or by absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
By Promotion:- From amongst Junior Engineers (Mechanical) of Farakka Barrage Project in level-6 of the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and having successfully completed mandatory training of two to four weeks in National Institute of Technology or Indian Institutes of Technology or National Water Academy or Water and Land Management Institute .	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. General Manager, Farakka Barrage Project – Chairperson;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By Deputation (including short-term contract): - Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertaking or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Recognised Universities or Recognised Research Institutions: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) Holding the posts of Junior Engineer with 5 years of regular service in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400- 112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience:- (i) Bachelor Degree in Mechanical Engineering from a recognised University or Institute. (ii) At least two years experience in the field of mechanical engineering. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	2. Superintending Engineer, Farakka Barrage Project – Member 3. Executive Engineer, Farakka Barrage Project – Member; 4. Under Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation – Member.	
--	--	--

1	2	3	4	5	6
2. Assistant Engineer (Electrical).	2 * (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.

7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

11	12	13
By Promotion: Junior Engineers (Electrical) of Farakka Barrage Project in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and having successfully completed mandatory training of two to four weeks in National Institute of Technology or Indian Institutes of Technology or National Water Academy or Water and Land Management Institute. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By Deputation (including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Statutory Bodies or Autonomous Bodies or Recognized Universities or Recognised Research Institutions: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) Holding the post of Junior Engineer with 5 years of regular service in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400- 112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience: - (i) Bachelor Degree in Electrical Engineering from a recognized University or Institute; (ii) At least two years' experience in the field of electrical engineering. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. General Manager, Farakka Barrage Project - Chairperson 2. Superintending Engineer, Farakka Barrage Project - Member; 3. Executive Engineer, Farakka Barrage Project - Member; 4. Under Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/18/2023-E-III]

RAVI RANJAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 178.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना, मुख्य नक्शानवीस और नक्शानवीस श्रेणी-I, भर्ती नियम, 2016 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना में मुख्य नक्शानवीस और ज्येष्ठ नक्शानवीस के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना, मुख्य नक्शानवीस और ज्येष्ठ नक्शानवीस (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

5. निरर्हता-वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति— इन नियमों में कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों, पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. मुख्य नक्शानवीस	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये)।	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
क. प्रोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये) के ऐसे ज्येष्ठ नक्शानवीस, जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और सरकारी संबद्ध संस्थान या संगठनों से जीआईएस या जियोइन्फॉर्मेटिक्स या रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे वरिष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। ख. प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन नक्शानवीस संवर्ग के अधिकारी: (क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-6 (35400-112400 रुपये) या समतुल्य में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना - अध्यक्ष; 2. अधीक्षण अभियंता, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य; 3. अवर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(ii) सरकारी (केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन) या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठन या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों से सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय:- ऑटो-सीएडी (कम्प्यूटर एडेड डिजाइन) से संबंधित सॉफ्टवेयर पर छह महीने का अनुभव। टिप्पण 1.- फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, (अल्पकालिक संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति पर आए लोग पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ज्येष्ठ नक्शानवीस	5* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रूपए)	लागू नहीं होता।	आयु तीस वर्ष से अधिक आयु न हो। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष की आयु तक की छूट है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग (सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल) में डिप्लोमा। अनुभव: सरकारी (केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र) या कानूनी या स्वायत्त संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों से सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश-प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या किसी लंबे समय से बीमारी या अध्ययन छुट्टी पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के

वांछनीय अनुभव- ऑटो-कैड से संबंधित सॉफ्टवेयर पर छह माह का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			निम्नलिखित अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और (ख) जो स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।
--	--	--	---

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना - अध्यक्ष; 2. अधीक्षण अभियंता, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य; 3. अवर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/16/2023-ई.।।।]

रवि रंजन, अवर सचिव

New Delhi, the 4th November, 2025

G.S.R. 178.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Farakka Barrage Project, Chief Draftsman and Draftsman Grade-I, Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chief Draughtsman and Senior Draughtsman in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project, Chief Draughtsman and Senior Draughtsman (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application-** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes, the Ex--servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non – selection post.	Age- limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Chief Draughtsman.	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7, in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
A. By promotion: From amongst Senior Draughtsman in Level - 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years' regular service in the grade and successfully completed training of two to four weeks in field of GIS or Geoinformatics or Remote sensing from Government affiliated institute or organisations. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for	Group 'B' Departmental Promotion Committee Consisting of: - 1. General Manager, Farakka Barrage Project - Chairperson; 2. Superintending Engineer, Farakka Barrage Project - Member;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. B. By deputation (including short-term contract): Officers of Draughtsman cadre under the Central Government or State Government or Union territory or Public Sector Undertakings or Autonomous or statutory or Universities or recognised research institutions: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the pay level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as under: (i) Diploma in Civil or Mechanical or Electrical Engineering from a recognized University or Institute. (ii) Three years' experience in the field of Civil or Mechanical or Electrical Engineering from Government (central or State or Union Territory Administration) or Public Sector Undertakings or statutory or autonomous organisation or Universities or Recognised Research Institutes. Desirable:- Six months experience on the software relating to Auto-CAD (Computer Aided Design) Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation including short-term contract. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	3. Under Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member.	
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Draughtsman.	5* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for Government servants upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)

					Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualifications: Diploma in Engineering (Civil or Mechanical or Electrical) from a recognised University or Institute. Experience: Two years' experience in the field of Civil or Electrical or Mechanical Engineering from Government (Central or State or UTs) or statutory or autonomous Organisation or PSUs or Universities or Recognised Research Institutes. Desirable Experience- Six months experience on the software relating to Auto-CAD. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two Years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee Consisting of:- 1. General Manager, Farakka Barrage Project - Chairperson; 2. Superintending Engineer, Farakka Barrage Project - Member; 3. Under Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/16/2023-E.III]

RAVI RANJAN, Under Secy.